कार्यालय उप वन संरक्षक,जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसवेल फोन न.0291-2636753 ई-मेलः dfojodhpur@gmail.com

क्रमांकः एफ (117)/FCA/उवसं/2020/ 6622 दिनांकः 10/9/2020

निमित्त,

अधिशासी अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग,
परियाजना खण्ड-पंचम जोधपुर।

विषयः- "Diversion of 0.0316 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department for Reorganisation of Urban Water Supply Scheme Jodhpur (AFD France Funded Project)" Proposal No. FP/RJ/WATER/40626/2019.

संदर्भः-राजस्थान सरकार, वन मंत्रालयए जयपुर का पत्रांक प. 1(69) वन/2020 दिनांक 27.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन मंत्रालयए जयपुर का पत्रांक प. 1(69) वन/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण "Diversion of 0.0316 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department for Reorganisation of Urban Water Supply Scheme Jodhpur (AFD France Funded Project)" Proposal No. FP/RJ/WATER/40626/2019 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तो की भी पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दुसंख्या 8-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त पेयजल परियोजना से भुतेश्वर नर्सरी हेतु एक इंच पानी का कनेक्शन पौंधो को पानी देने हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।

बिन्दु संख्या 10:-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के दुगने अवनत वनभूमि (100 x 0.100)= 0.200 हैक्टयेर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 3,36,600/-(अक्षरे तीन लाख छतीस हजार छः सौ रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

AE(P)/AS
17.9.20
EE

बिन्दु संख्या 11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 4,38000 = 0.0316 रूपये = 13,841/-(अक्षरे तेरह हजार आठ सौ इकतालीस रूपये मात्र) रूपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

Scanned with CamScanner

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ के बिन्दु संख्या 1 से 9 एवं 12 से 14 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एंव अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner